International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 14 Issue 3, May-June, 2026

महिला अधिकारों के प्रति बाबा साहब अम्बेडकर तथा ताराबाई शिंदे के विचारों की भूमिका

विनय कुमार पाण्डेय

राजनीति विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय

सारांश

दलित बहुजन विचारकों ने न केवल समाज में उस तबके के लिए जो हजारों सालों से शोषित, वंचित, आदि के उद्धार के लिए अपने विचारो एवम् कृत्यों के द्वारा काम किया अपितु समाज के उस आधे भाग (स्त्री) के प्रति भी आवाज उठाई जो की एक तो स्त्री होने के नाते और दूसरा जातीय दंश दो - दो प्रकार के भेदभाव को सहन करना पड़ता है, के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्री सदैव ही उपेक्षित रही है। इन विचारकों ने महिलाओ की हर मामले में स्वंत्रत्ता ,समानता एवम् भागेदारी की मांग की। जब समाज में पितृ सत्ता का बोल बाला था ,एवम् महिलाओ को किसी प्रकार की समानता प्राप्त नहीं थी , एवम् उनके कार्यों तथा सहभागिता को नगण्य समझा जाता था और उनपर नाना प्रकार के धार्मिक , सामाजिक एवम् पारिवारिक बंधनों को थोपा जाता था, उसके खिलाफ इन विचारकों ने आवाज उठाई तथा नारी को पुरुषों के समान सभी अधिकारो को प्रदान करने की वकालत की। **अम्बेडकर** ने महिलाओं के सामाजिक ,आर्थिक , राजनीतिक , धार्मिक आदि आधिकरो को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,। **फुले** ने नारी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया है, तथा शिक्षा के अभाव को ही सब प्रकार के बंधनों एवम् दासता का कारण माना है। **पेरियार** ने महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग की है चाहे वह अपनी मर्जी का विवाह हो या फिर फिर अन्य विषय। **ताराबाई शिंदे** ने भी महिला मुक्ति का महत्वपूर्ण कार्य किया है ,जो की पितृ सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है एवम् नारी मुक्ति समानता तथा स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करता है। भारतीय समाज में स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक अंधविश्वासों को थोपा जाता है, जिसके कारण उनको हमेशा दासता के बंधनों में एवम् पितृ सत्ता के चंगुल में जकड़ा जाता रहा है। हमारे समाज में सभ्य ,अच्छी ,सुशील, एवम् सरल स्वभाव की स्त्री उसे ही माना जाता है जो कि अपने पति, पिता एवं पुत्र की बातों को सर्वोपरि माने एवम् उनके संरक्षण में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करें ।और उनके साथ किसी भी प्रकार का विरोधाभास ना करे, इस प्रकार से पितृसत्ता की बेड़ियों में स्त्री को बचपन से ही जकड़कर जाता है। स्त्रियों के साथ जन्म से ही भेदभाव किया जाने लगता है, और उनके कार्यों , खेलने के सामान , रहन सहन, पहनावे आदि को अलग कर दिया जाता है।

इन विचारकों ने स्त्रियों के साथ हो रहे इसी अमानवीय व्यवहार एवं भेदभावों के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया है। और समाज में समानता एवम् स्वतंत्रता स्थापित करने की वकालत की है, इन विचारकों ने नारी मुक्ति ,समानता एवम् स्वतंत्रता को प्रदान करने का जो मार्ग प्रशस्त किया है वह वर्तमान समाज के लिए बहुत ही प्रासंगिक प्रतीत होता हैं।

प्राचीन भारत में महिलाओ की स्थिति

दलित बहुजन विचारकों के योगदान को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्राचीन भारत में महिलाओं की क्या स्थिति रही है? इसके लिए हम वैदिक काल से महिलाओ कि स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे , ऋग्वेद की श्लोक एवं ऋचाएं बताती हैं कि वैदिक काल में महिलाओं को लगभग सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता एवम् समानता प्राप्त थी । तथा वेदों को पठन पाठन का भी अधिकार महिलाओं को प्राप्त था।उनको विवाह के क्षेत्र में भी अपनी मर्जी एवं उम्र की परिपक्वता की स्वतंत्रता प्राप्त थी। **कौटिल्य** ने भी महिलाओं को एसी समानता की स्थिति प्रदान करने की वकालत की है। जैसे जैसे हम ऋग्वेद से अथर्ववेद की ओर बढ़ते है महिलाओं की स्थिति में गिरावट एवम् पुरुष प्रधानता का बोल बाला बढ़ता हुआ देखने को मिलता जाता है।

बुद्ध ने भी महिलाओ को पुरुषों के समान समानता एवम् स्वतंत्रता की वकालत की है। जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलनों में भी महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति दी गयी है । यशोधरा, मल्लिका, विशाखा और आम्रपाली ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने आज से ढाई हज़ार साल पहले के समय में बहुत ही बेबाकी से स्त्री अधिकारों और स्त्री समानता की बात उठायी। उनके दौर की चार बहादुर स्त्रियों को लेकर सुनाई गई अनेक कहानी भी यही संदेश देती है। गौतम बुद्ध ने भी उनका समर्थन करते हुए जन समुदाय की शंकाओं का समाधान किया। और अनेक जगह अपने विचारों में भी परिवर्तन किया।

बुद्ध एवम् कौटिल्य के अतिरिक्त **मनु** स्त्रियों के प्रति अपना नकारात्मक नजरिया रखता था। और यहीं से महिलाओं के एवम् वर्ग विभाजन के द्वारा शूद्रों एवम् अति शूद्रों का शोषण , भेदभाव एवम् नाना प्रकार के भेदभाव का जन्म होता है । मनु के विचार स्त्रियों के लिए भी उतने अनुदार थे **(बाबा साहब वांग्मय खंड ७ पेज ३३०)** । मनु ने धर्म सूत्रों के आधार पर मनुस्मृति के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र आध्यात्म , विवाह , भरण पोषण , कार्य विभाजन, लैंगिक असामनता ,में मानव जगत के प्रायः आधे भाग नारी जगत को पूरी तरह से उपेक्षित रखा है। मनु ने कहा कि -" स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार न होने के कारण उनके संस्कार वेदाध्ययन से नहीं कराए जाते हैं और इसी के कारण स्त्रियां ज्ञान शून्य होती हैं। वेद अध्ययन से पाप का नाश होता है चूंकि स्त्रियां उनका उच्चारण नहीं कर सकती उनमें इसीलिए असत्य का वास होता है।" इस प्रकार हम देखते है कि बड़ी चतुराई के साथ मनु आचार्य ने पहले तो स्त्रियों को पठन पाठन का अधिकार खुद ही नहीं दिया और फिर इसी के आधार पर उन्हें असत एवम्

पापी भी करार दिया। इतना ही नहीं मनु ने स्त्री को उसके जीवन के हर स्तर पर पिता (बाल्यकाल), पति (विवाह), पुत्र (बृद्ध) के अधीन कर दिया। इस तरह ब्राको सशक्त बनाने के लिए मनु ने महिलाओ को पुरुषों की सहधर्मिणी बनाने के बजाय उसको पुरुषों की दासी बना दिया।।

मध्य कालीन भारत में महिलाओं की स्थिति-

मध्यकाल में देखें तो नारियों कि स्थिति दयनीय हो गई, उनपर बाल विवाह, बाल हत्या, सती प्रथा, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि प्रकार की सामाजिक बुराइयों को महिलाओं पर थोपा गया। तथा महिलाओं को चार दीवारी के अन्दर ही रखा जाता था। और उन्हें पितृ सत्ता के नाम पर इनको पुरुषों के अधीन रखा गया जिससे महिलाओं का जीवन एक दास से भी बदतर हो गया जिसके कारण पति को परमेश्वर मानना, पतिव्रता धर्म का पालन करना, पति, पिता पुत्र के आदेशों का पालन करना उनका मुख्य कर्तव्य माना जाने लगा। और शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से महिलाओं को वंचित रखा गया।

डॉ अम्बेडकर का महिला अधिकारों के प्रति योगदान

हम अपने समाज के संदर्भ में जब भी समाज में व्याप्त जाति, वर्ग एवं लिंग के स्तर पर व्याप्त असमानताओं और उनमें सुधार संबंधी मुद्दों पर चिंतन हो रहा हो तो डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों एवं दृष्टिकोणों को शामिल किए बिना बात पूरी ही नहीं सकती। डा अंबेडकर ने समाज के अस्पृश्य, उपेक्षित तथा सदियों से सामाजिक शोषण से शोषित दलित वर्ग को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य ही नहीं किया बल्कि उनका सम्पूर्ण जीवन समाज में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वास पर आधारित संकीर्णताओं और विकृतियों को दूर करने पर भी आधारित रहा।बाबा अम्बेडकर ने न केवल सदियों से शोषित, वंचित, दलित आदि लोगों की समानता, स्वतंत्रता की वकालत की अपितु उन्होंने समाज के आधी जनसंख्या अर्थात महिलाओं की समानता एवं स्वतंत्रता का भी भरपूर समर्थन किया। उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया। बाबा साहब का मुख्य ध्येय समाज के शोषित वर्ग के उत्थान के लिए था। डॉ. अंबेडकर महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलाने के पक्षधर थे,जिससे महिलाओं को भी सामाजिक,आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्तर पर समानता का अधिकार मिल सके। इस लेख में डॉ. अंबेडकर के उन विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे महिलाओं कि स्थिति के लिए हमेशा प्रयासरत एवं चिंतनशील थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।

महिला सशक्तीकरण के रूप में

महिला सशक्तिकरण को लेकर अंबेडकर की लड़ाई की शुरूआत साल **1942** में शोषित वर्ग की महिलाओं के एक सम्मेलन में देखने को मिला था, जब उन्होंने कहा था, "'किसी समुदाय की प्रगति इस बात से आंकी जा सकती है कि उस समाज में महिलाओं की प्रगति कितनी हुई है।" उनके यही शब्द उन्हें नारीवाद का एक बड़ा मशीह मानते है, जिसने जाति समस्या और महिला के अधिकारों को एक करके देख था।उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति इसलिए बदतर है क्योंकि वे सब

जाति-प्रथा के जाल में भी फंसी हुई हैं। आजादी मिल जाने के बाद भी चिंता इस बात की थी कि आधी आबादी का क्या होगा,देश में महिला अधिकारों के लिए लड़ाई अभी भी बाकी थी। अगर हम देखें तो भारत सामाजिक व्यवस्था के तौर पर पितृसत्तात्मक है महिला का स्थान पुरुषों से नीचे हैं और बहन बेटियों को हीन नज़र से देखा जाता है। मनुस्मृति जैसी किताबों में महिलाओं को पुरुषों से नीचे दर्जे का दिखाया गया है व उन्हें सभी अधिकारों से वंचित किया गया है। इसके लिए बाबा साहब ने भारतीय नारी को समानता एवम् स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु मनु द्वारा प्रस्तुत अन्यायो पर आधारित व्यवस्था का समूल नाश करने हेतु प्रबल रूप से चेतना जगाने न प्रयास किया। तथा देश के संविधान में उसे विधिवत रूप से वर्णित करके न्याय की स्थापना के लिए वांछित प्रयास किया।

बंबई की महिला सभा को संबोधित करते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि "नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बड़ा होता है,नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव ही नहीं है।" तथा महिला की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि " मै किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूं कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है।?" अर्थात उनकी दृष्टि में किसी समाज की प्रगति का मापदंड नारी है ना कि पुरुष।

सामाजिक अधिकार के प्रति योगदान

बाबा साहब अम्बेडकर स्त्रियों के अधिकार , विधवा विवाह, सम्पत्ति का अधिकार, मुआवजे का अधिकार, अंतर्जातीय विवाह का अधिकार , अपनी मर्जी के विवाह का अधिकार, आदि सभी नारी संबंधी अधिकारों के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। उनका मानना था कि सामाजिक क्रांति ,परिवर्तन एवं विकास के लिए स्त्री वर्ग को निश्चित रूप से पुरुषों का सहयोगी बनाना होगा। 12 मार्च 1930 को भीमराव अम्बेडकर द्वारा अछूतों एवम् महिलाओ के काला मन्दिर प्रवेश के लिए चलाया गया शुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन महिलाओ को मंदिर प्रवेश के अधिकार की वकालत करता है। जो की वर्तमान समय में भी प्रासंगिक होता है जहां अशुद्धि के नाम पर शबरी माला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किया जाता है। ऐसे अनेक अंधविश्वास के प्रति अम्बेडकर ने बहुत पहले ही आवाज उठाई तथा समाज में जागृति लाने का प्रयास किया।

राजनीतिक अधिकारो के प्रति योगदान

सन् 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की वकालत की। इस पैक्ट के माध्यम से उन्होंने दलित स्त्री एवम् पुरुषों को संसद , विधान सभा एवम् नौकरियों में आरक्षण दिए जाने हेतु मांग किया । सन् 1940 में संविधान के माध्यम से देश के सभी नागरिकों अर्थात स्त्री पुरुष के मध्य बिना भेदभाव के मौलिक अधिकारों के माध्यम से स्वतंत्रता एवम् समानता के अधिकार को दिलाया।

हिन्दू कोड बिल एवम् महिलाएं

बाबा साहब का वृहद चिंतन, संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाए जाने के साथ-साथ महिलाओं को बराबरी के अधिकारों दिलाने की वकालत भी करता है। जिसके लिए उन्होंने सन् **1951** में संसद में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। भारतीय महिलाओं को सदियों से शिक्षा, समानता , स्वतंत्रता एवम् आध्यात्मिक गतिविधियों से वंचित रखा गया था। हिंदू कोड बिल, महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार करके, उन्हें विकास और कामयाबी से जोड़ता था। हिंदू कोड बिल को संसद में पास न करा पाने से अंबेडकर बहुत दुखी थे। उनका विचार था कि संविधान लिखने से भी ज्यादा खुशी उन्हें हिंदू कोड बिल पास कराने से होती।

उनके हिन्दू कोड बिल का उद्देश्य स्त्रियों को पारिवारिक एवम् सामाजिक शोषण से मुक्त कराकर पुरुषों के समान ही अधिकारो को प्राप्त कराना था। अम्बेडकर के हिन्दू कोड बिल को चार मुख्य अंगो के रूप में देखा जा सकता है।

1. हिंदुओ में बहुविवाह जैसी प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान ही विधि सम्मत हो।
2. स्त्रियों को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार देना वा उन्हें गोद लेने का अधिकार प्रदान करना।
3. पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी तलाक का अधिकार देना क्योंकि पहले हिन्दू समाज में केवल पुरुष ही तलाक दे सकते थे।
4. आधुनिक एवम् प्रगतिशील विचारधारा के अनुसार हिन्दू समाज को एकीकृत करके उसे मजबूती प्रदान करना।

भारतीय संसद में इस बिल को प्रस्तुत करते हुए अम्बेडकर ने कहा कि इसके सभी प्रावधान भारतीय संविधान से लिए गए हैं जो स्वतंत्रता, समता ,एवं बंधुत्व की भावना पर आधारित हैं। उनका मानना था कि भारतीय समाज में जबसे जाति प्रथा प्रचलित रही है तभी से स्त्रियों का शोषण भी प्रारंभ हुआ है। अम्बेडकर के अनुसार हिन्दू धर्म पद्धति मे जो विवाह होते हैं उनमें स्त्रियों के लिए कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया जाता है। स्त्री को विवाह के मंडप मे ऐसे उपदेश दिए जाते है कि वह आजीवन पतिव्रता बनकर पति की पूरी सेवा करेगी।किन्तु पति भले ही कितना ही बुरा एवम् अयोग्य क्यों ना हो पत्नी को अपने पति को तलाक देने का अधिकार ना था ,किन्तु उसके ठीक विपरीत पति तलाक देने के पश्चात कई विवाह भी कर सकता था।

इस तरह वास्तविक रूप में विवाह हिन्दू स्त्रियों के लिए दासता एवम् शोषण की बेड़ियों के समान है। बाबा साहब ने हिन्दू कोड बिल के द्वारा इन्हीं बेड़ियों को खत्म करने का प्रयास किया है। इस प्रकार उन्होंने भारत की बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा खाका तैयार किया, जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति आदि तमाम मुद्दों पर अधिकार देने की वकालत की गई। वर्तमान परिपेक्ष्य में हम देखें तो, महिलाओं की दशा सुधारने में अम्बेडकर द्वारा प्रताड़ हिन्दू कोड बिल मील का पत्थर बना है।

बाबा साहब द्वारा स्त्रियों को संवैधानिक प्रावधान

बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय नारी को अपमान जनक स्थिति के गर्त में डूबने से एवम् दासता की बेड़ियों का शिकार होने से बचाने के लिए जीवन पर्यन्त प्रयास किए। भारतीय समाज में आज पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता ,अशिक्षा एवम् सरकारों द्वारा उनके सशक्तीकरण के कार्यक्रमों में कमियों के चलते महिलाओं में वांछनीय सुधार देखने को नहीं मिल सके ।भारतीय समाज में प्राचीन काल से व्याप्त धार्मिक एवम् रूढ़िवादी प्रचलित प्रथा के कारण महिलाओ को हीनता की दृष्टि से देख जाता है।अम्बेडकर ने समाज में नारी की दयनीय दशा को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ प्रमुख प्रत्यक्ष एवं परोक्ष संवैधानिक प्रावधान किए।

अनुच्छेद **14** के माध्यम से विधि के समक्ष समानता का निर्वाह किया ।

अनुच्छेद **15(1)** में लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध ।

अनुच्छेद **39(घ)** समान कार्य के लिए समान वेतन का दिया जाना ।

अनुच्छेद **42** प्रसूति महिला हेतु सहायता दिए जाने का प्रावधान ।

अनुच्छेद **42(1)**में ऐसी प्रथाएं को महिलाओ कि गरिमा एवम् सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, का परित्याग किया जाए।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने से महिलाओ को विवाह के क्षेत्र में अधिकार प्रदान किए गए। **हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956** में पुरुषों के समान ही महिलाओ को भी पैतृक सम्पत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। और **2005** में इसे संशोधित कर इसे और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया ।

1956 में अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम पारित किया गया ।

ताराबाई शिंदे

ताराबाई शिंदे की पुस्तक स्त्री-पुरुष तुलना स्त्रियों को गुलाम मानसिकता से मुक्ति दिलाने की प्रेरणा प्रदान करती है ,जिसमें ज़ोरदार सामाजिक क्रांति का संदेश निहित है । ताराबाई ने पितृसत्ता का जोरदार खंडन किया है। उन्होंने समाज में प्रचलित अनेक अंधविश्वास के आधार पर स्त्रियों पर थोपे जा रहे पाखंडों की बड़े ही तार्किक ढंग से आलोचना भी की है , और समाज में स्त्री पुरुष समानता का पुरजोर समर्थन किया है । ताराबाई शिंदे एक ऐसी नारीवादी कार्यकर्ता है, जिसने उन्नीसवीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति प्रथा का पुरजोर विरोध किया था। वह अपनी प्रकाशित किताब, स्त्री-पुरुष तुलना जो कि मूल रूप में **1882** में मराठी भाषा में प्रकाशन के लिए जानी जाती है। यह किताब उच्च जाति में वर्णित पितृसत्ता की आलोचना प्रस्तुत करती है जिसे मुख्यतया पहला भारतीय आधुनिक नारीवादी पाठ माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और आडंबरों को महिलाओं के उत्पीड़न के स्रोत के रूप में चुनौती देने में अपने समय के लिए उनकी यह किताब और विचार बहुत ही विवादास्पद और महत्वपूर्ण रहे हैं। तथा आज भी विवादास्पद और बहस का मुद्दा बना हुआ है। ताराबाई ने अपना क्रांतिकारी लेख उन परिस्थितियों में लिखा जब की महिलाओ को केवल चहार दिवारी के भीतर रखा जाता था। तथा उन पर धार्मिक एवम् सामाजिक आधार पर पितृ सत्ता के

नाम पर नाना प्रकार के बंधन लगा कर उनको एक दस की भांति समझा जाता था । और उनका शोषण किया जाता था। ऐसे समय में एक स्त्री द्वारा ऐसा क्रांतिकारी देख लिखना बहुत ही साहसिक कदम समझा जा सकता है। और इनका यह लेख आज के सभी नारीवादी विचारकों को मार्ग प्रशस्त करता है। अपने निबंध में शिंदे ने जाति की ,सामाजिक असमानता के साथ ही साथ अन्य कार्यकर्ताओं एवं विचारकों के पितृसत्तात्मक संबंधी विचारों की तीव्र आलोचना प्रस्तुत किया है । शशि थरूर और के ललिता के अनुसार, भक्ति काल की कविताओं के बाद स्त्री-पुरुष तुलना शायद पहली पूर्ण और प्रचलित नारीवादी तर्क है। और ताराबाई शिंदे का काम महत्वपूर्ण है ,क्योंकि एक समय में जब बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता दोनों ही मुख्य रूप से एक हिंदू विधवा की जिंदगी और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की कठिनाइयों से संबंधित थे उस समय जाहिर तौर पर अलगाव में काम कर रही ताराबाई शिंदे, पितृसत्तात्मक समाज के वैचारिक ढांचे को शामिल करके विश्लेषण के दायरे को व्यापक बनाने में सक्षम थी।

स्त्री पुरुष तुलना में प्रकाशित लेख की लेखिका के माध्यम से, अपने विचारों के तीखे तीरों से हिन्दू धर्म और उसके ग्रंथों, धार्मिक अंधविश्वासों व उनके द्वारा बनाई गई पितृसत्ता की माला को खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी कलम से एक लगभग एक आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने उस वक्त समाज से बड़े ही साहस के साथ लोहा लेकर उसमें क्रन्तिकारी बहाव को और तेज़ करने की कोशिश की। ताराबाई शिंदे ने अपनी प्रभावशाली लेखनी के द्वारा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के पाखंडों पर प्रबल प्रहार किया।

पितृसत्ता का खंडन

ताराबाई जी का लेख स्त्री पुरुष तुलना मुख्य रूप से पितृ सत्ता पर ही कुठाराघात करता है। एवम् स्त्रियों की सभी प्रकार की दयनीय स्थिति के लिए इसी प्रथा को जिम्मेदार ठहराती है। और शिंदे इसका समूल नाश के पक्ष में है । स्त्री-पुरुष की समानता पर बल देते हुए ताराबाई ने अपने लेखन के द्वारा यह चेतावनी देने का प्रयास किया कि स्त्री को आप दरकिनार नहीं रख सकते और न ही दरकिनार करके किसी समाज का उद्धार और विकास ही हो सकता है। उन्होंने लिंग भेद के आधार पर स्त्री-पुरुष के अधिकारों में फ़र्क करने और दोहरे मापदंड बनाने के खिलाफ़ आवाज़ उठाई। वह बार-बार प्रश्न पूछती हैं कि “'पुरुष अपने आप को स्त्रियों से इतना भिन्न क्यों समझता है? और स्त्री की तुलना में वह खुद को इतना महिमामंडित और बुद्धिमान क्यों समझता है? यदि वे इतने ही महान और बलशाली थे तो अंग्रेजों के गुलाम कैसे बन गए? आगे वो पूछती हैं कि उनके बीच ऐसी क्या अलग बात है कि पत्नी की मृत्यु से पति पर कोई फर्क नहीं पड़ता ,पति जब चाहें वह दूसरा विवाह कर ले, पर पति के मरने से विधवा स्त्री को ऐसे दुःख दिए जाते हैं मानो पत्नी ने ही अपने पति को मार दिया हो ? वे कहती हैं कि ये दोहरे मापदंड क्यों जबकि स्त्री-पुरुष की लगभग सभी इच्छाओं में कोई भेद नहीं होता है , इसलिए ऐसी विधवा होने से अच्छा तो सती होना है।

धार्मिक पाखंडों का खंडन -

ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में महाभारत की द्रौपदी, रामायण की सीता , कुंती के कर्ण (जन्म के विषय में) आदि ऐसे अनेक महिलाओ का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से विवाह के पहले व विवाह के बाद बहुविवाह आदि के रूप में दिखाया है । ताराबाई शिंदे तत्कालीन धार्मिक कट्टरताओं और अनाचारों पर तीखा कुठाराघात करती हैं। शिंदे पितृसत्ता के समाने सवाल खड़ा करती है और कहती हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे प्राण तुम्हें प्रिय है वैसे ही क्या स्त्रियों को उसके प्राण प्रिय नहीं हैं? क्या वो मानव मात्र का हिस्सा नहीं है? आगे कहती हैं कि या फिर तुम्हारे प्राण सोने से बने और स्त्री के प्राण लोहे से बने हुए हैं? या फिर आप स्त्री को पत्थर समझते हो, एक ऐसा पत्थर जो भावना हीन हो,पति की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है । उसका केशवपन(मुंडन) किया जाता है। इस संसार की सारी सुंदर चीज़ों, सुख सुविधाओं से उसको वंचित किया जाता है। मंगलकार्यों में उपस्थित होने की उसे अनुमति नहीं होती और उसे अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। चाहे वह एक अबोध बालिका क्यों न हो, उस पर भी समाज के सारे बंधन थोप दिए जाते हैं। आगे वह धर्माचार्यों पर प्रहार करती हुई कहती हैं कि उन्होंने शास्त्रों में सब नियम केवल पुरुषों की सुख-सुविधाओं का ख्याल रखकर बनाये हैं ,न की स्त्रियों की स्थितियों को ध्यान में रखकर।”

विधवा विवाह का समर्थन

ताराबाई शिंदे ने अपने लेख स्त्री पुरुष तुलना में में विधवा विवाह का तार्किक आधार पर पुरजोर समर्थन किया है । वह कहती हैं कि जिस प्रकार पुरुष स्त्री की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह कर लेता है ठीक उसी प्रकार समानता स्त्रियों के साथ क्यों नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न को खड़ा करते हुए शिंदे कहती हैं कि “तुम(पुरुष) तो पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दसवें ही दिन दूसरी स्त्री को ब्याह कर लाते हो, बताओ भी कि कौन से भगवान ने तुम्हें ऐसी आजादी दी है? जिस प्रकार से स्त्री वैसा ही पुरुष है तुम में ऐसे कौन से ऐसे गुण विद्यमान है, और तुम कौन ऐसे शूरवीर और जाबाज हो कि जिसकी वजह से परम पिता ने तुम्हें ऐसी विशेष स्वतंत्रता प्रदान कर दी है?”विधवा का किसी के समाने भी आना अपशगुन के रूप में माना जाता है, क्या यह सब उचित है? पति की मृत्यु हुई, इसमें उसकी पत्नी का क्या दोष रहा है?”

वेश्यावृति को पनपाती है पितृ सत्ता

ताराबाई समाज में नारियों के प्रति व्याप्त सभी प्रकार की कुरीतियों, बाधाओं, आदि के कारण के लिए पितृ सत्ता को जिम्मेदार ठहराती है जो की सही भी है उनके अनुसार पितृसत्ता वेश्यावृत्ति को बढ़ाने में भूमिका अदा करती है।

उनका मानना है कि सफेद साड़ी पहनने या फिर केशमुंडन करने मात्र से विधवाओं के हृदय की भावनाएं खत्म नहीं होतीं । और स्त्रियों के अंतःकरण को पढ़ने की क्षमता पुरुषों में कहाँ है? समाज में वेश्यावृत्ति की समस्या का मुख्य कारण पुरुष समाज द्वारा निर्मित वे नियम हैं जो स्त्रियों को उनका

गुलाम बनाकर रखते हैं। वह पुरुषों से कहती हैं कि तुम भी क्या कम हो? अपनी अंतर वासनाओं की पूर्ति के लिए तुम ने इन प्रेमदाताओं को ऐसी खराब अवस्था में छोड़ा है कि पूछो मत। अगर पुरुषों की तरह उन्हें भी पुनर्विवाह की मान्यता प्राप्त रहती तो इनकी ऐसी हालत कभी नहीं होती। उनका मानना है कि समाज में वेश्यावृत्ति पुरुषों की वजह से ही पनपती है। क्योंकि पति का प्रेम मिलने पर स्त्री सुख आनंद और सुरक्षा का अनुभव करती है , तथा ऐसी स्थिति में वह किसी भी प्रकार के अन्य अभावों की परवाह नहीं करती। किसी भी हालात में समाज में बेईज्जती का पात्र स्त्री ही बनती हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को न केवल दलितों के मसीहा आदि के रूप में समझा एवम् देखा जा सकता है अपितु उन्हें महिला सशक्तीकरण, अधिकारों, स्वतंत्रता ,समानता , मानवीयता का अग्रदूत भी समझा जा सकता है। उनकी ही देन है कि आज भी महिलाओं को संवैधानिक स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान की गई है । जिसके बल पर नारीवादी विचारक तथा महिलाएं अपने हक के लिए समाज में आगे आ सकती हैं। बाबा साहब द्वारा महिलाओं को दिए गए ये अधिकार आज भी बहुत ही प्रासंगिक सिद्ध होते हैं।

ताराबाई शिंदे के विचार आज के समाज के लिए, जहाँ महिलाओं को नीचा और सभी मामलों में कमतर समझा जाता है, एक ताकतवर तलवार का प्रहार है, जो पितृसत्ता की सोच को छिन्न भिन्न कर देता है। इनका लेख स्त्री पुरुष तुलना नारीवादी विचार को नए जोश के साथ भर देता है।

संदर्भ सूची-

1. अम्बेडकर भीमराव ,२०१३(तृतीय संस्करण), क्रांति और प्रतिक्रान्ति : बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स आदि में नारी एवम् प्रतिक्रान्ति सम्पूर्ण वांग्मय खंड ७, डॉ अम्बेडकर प्रतिष्ठान नई दिल्ली ,पृष्ठ ३३५-३६
2. अम्बेडकर भीमराव , हिन्दू नारी का उत्थान एवम् पतन २००९ ,गौतम बुक सेंटर , दिल्ली ।
3. Google-https://hindi.feminisminindia.com/2019/04/19/ambedkar-for-women-rights-hindi/?amp#aoh=16048436999525&referrer=https://www.google.com
4. मेघवाल, कुसुम भारतीय नारी के उद्धारक डॉ.बी.आर अम्बेडकर परिवर्धित एवम् संशोधित, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली ,**2005** पृ. सं. **113.**
5. सुमन, रावत ,मंजू , ज्ञानेंद्र, दलित महिलाएं,सम्यक प्रकाशन ,२००४, पृष्ठ सं १४१-३
6. Ibid 5
7. रतू नानकचंद,**2005**, डॉ अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष (अनुवादित शिलप्रिय बौद्ध) सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली पृ. **31**
8. शाहारे, एम. एल., हिन्दू कोड बिल की हत्या, सम्यक प्रकाशन,नई दिल्ली, २००५

9. पूरणमल,अम्बेडकर एवम् दलित उद्धार आंदोलन ,आविष्कार पौबलिशर डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर, २००९
10. कश्यप, आलोक कुमार ,भारतीय समाज में नारी : दशा एवम् दिशा , आर्या पब्लिकेशन , नई दिल्ली, १९७८ ,पृष्ठ सं. १७२-१७६
11. Phadke, Y.D.संपा° (1991). Complete Works of Mahatma Phule **(मराठी में)**
12. शिंदे , ताराबाई, स्त्री-पुरुष तुलना, संवाद प्रकाशन, **2002**, पृ. **47**
13. डॉ के एम मालती – स्त्री विमर्श : भारतीय परिपेक्ष्य, पृ. **57**
14. शिंदे ,ताराबाई,पालेकर जुई (अनुवादक) स्त्री - पुरुष तुलना, **2016**